न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवान –	ननोष देवी	बनाम	झाबर व अन्य
किस्म–	दावा	मु.नं –	429 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र	
08.11.2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पोखरमल भींचर न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तामील करावें। पत्रावली आगामी तारीख पेशी 18.12.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, सीकर	
18/12/25	पत्रावली पेश हुई। अधि. वादी हाजिर। अधि. वादी द्वारा प्रकरण को नोटबुक से खारिज करवाने बाबत नोट किया। अतः अधि. वादी द्वारा नोटेड करने के आधार पर वाद वादिया को नोटबुक से खारिज किया जाता है। पत्रावली मौजूदा से शुमार होकर नाकार से कम है। दाखील दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, सीकर	Note press (एस.कापिल) Kapil 18/12/25